लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/2012–13/1743 भोपाल, दिनांक 30/8/13

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,**
3. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,**
4. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
5. **समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास,**
6. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,**
   मध्यप्रदेश।

विषय– **नवनियुक्त महिला संविदा शाला शिक्षकों के निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन तथा एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तन के पश्चात कार्यमुक्त करने के संबंध में ।**

संदर्भ–लोक शिक्षण सचालनालय का पत्र क्रमांक शि.क./ए/2013/1626–1627 दिनांक 01.08.2013

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में एम.पी.ऑनलाईन द्वारा दिनांक 23.08.2013 को नवनियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1, 2 एवं 3 की निकाय के भीतर पदांकन स्थल में परिवर्तन एवं निकाय परिवर्तन की सूची जारी की गई है। निकाय के भीतर पदस्थापना स्थान में परिवर्तन पश्चात संबंधित संविदा शाला शिक्षकों को तत्काल नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

एक निकाय से दूसरे निकाय में परिवर्तन की स्थिति में संबंधित को कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे। निर्देश जारी होने तक संबंधितों को कार्यमुक्त नही किया जावे एवं वें आगामी निर्देश तक वर्तमान कार्यरत संस्था में ही पदस्थ रहेंगे।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

(एस.बी.घोटे)
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक/शि.क./2012–13/1744 भोपाल, दिनांक 30/8/13

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, मान.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. सी.ओ.ओ., एम.पी.ऑन लाईन, निरूपम बिल्डिग, होशंगाबाद रोड भोपाल।

उप संचालक 30/8/13
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश